राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2018/ 361 दिनांक– 8-8-18

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 09.08.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 – 220

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100–100 प्रतियॉ संलग्न हैं।

भवदीय,

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)

Transport Department
5/9 Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम	–	परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता	–	5/9 अंडर हिल रोड़, दिल्ली–54
अतारांकित प्रश्न संख्या	–	220
प्रश्नकर्त्ता का नाम	–	श्री जगदीश प्रधान
दिनांक	–	09-08-2018

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ओला और उबर जैसी प्राइवेट टैक्सी सर्विसिस के लिए दिल्ली सरकार की कोई नीति निर्धारित नहीं है;	जी नहीं, City Taxi Scheme 2015 के अनुसार Aggregators को भी लाइसेंस लेना जरूरी है। नीति निर्धारित है। अन्य राज्यों की टैक्सियाँ ओला, उबर इत्यादि, एग्रीगेटरस के माध्यम से चल रही हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए City Taxi Scheme 2015 के स्थान पर नए Licensing and Regulations of App based aggregators rules बनाए गए है। उसको अन्तिम रूप देने के लिए मुख्यमन्त्री के आदेश से High Powered Committee का गठन किया गया है, उसकी रिर्पोट आना बाकी है। रिर्पोट आने के बाद नियम लागू किए जाएगें।
ख)	अब तक कोई नीति निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;	
ग)	क्या सरकार इनके लिए कोई नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है ; और	
घ)	यदि हां, तो ये नीति कब तक तैयार हो जाएगी?	

हस्ताक्षर

(वर्षा जोशी)
विभागाध्यक्ष

VARSHA JOSHI IAS
Secretary cum Commissioner (Tpt)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi